

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं०- 187664

पटना, दिनांक:- 06/06/14

ग्रा०वि०१/स्था०(प्रशिक्षण)४२/२०१३

कार्यालय आदेश संख्या-१८१५११ दिनांक-२६.०३.२०१४ के द्वारा नव नियुक्त परिक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतन की निकासी बिना वेतन पूर्जा के वेतन भरपाई पंजी के आधार पर संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व से घोषित है, उनके द्वारा निकासी कर वेतनादि का भुगतान जिला स्तर पर किये जाने का निर्णय संसूचित है।

यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए भी तीन माह तक प्रभावी था। चूंकी नव नियुक्त परिक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी के वेतन भुगतान की प्रक्रिया एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में जिलों से प्राप्त कतिपय पृच्छाओं के संबंध में सरकार के स्तर से नीतिगत निर्णय लिये जाने की कार्रवाई अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है, अतएव पूर्व की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में अगले तीन माह अर्थात जून २०१४, जुलाई २०१४ एवं अगस्त २०१४ तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

उक्त कार्यालय आदेश संख्या-१८१५११ दिनांक-२६.०३.२०१४ की शेष कंडिका यथावत रहेंगे।

(मिथिलेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 187664 / पटना, दिनांक:- 06/06/14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 187664 / पटना, दिनांक:- 06/06/14

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

२. जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से अनुरोध है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 187664 / पटना, दिनांक:- 06/06/14

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 187664 / पटना, दिनांक:- 06/06/14

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 187664 / पटना, दिनांक:- 06/06/14

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं श्री सुनील कुमार, आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

२. श्री सुनील कुमार, आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

सरकार के अपर सचिव